(2007) 12 एस सी आर 1197

राजस्थान राज्य

बनाम

गणेशी लाल

निर्णय दिनांक 10.12.2007

(न्यायाधिपति डा0 अरिजित पसायत एवं न्यायाधिपति श्री पी.सथाशिवम)

औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 धारा-2(एस)-राज्य सरकार के विधि विभाग के कर्मचारी की बर्खास्तगी-औद्योगिक विवाद उत्पन्न-विवाद का विरोध इस आधार पर कि विभाग उद्योग नहीं है-अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कर्मकार को अनुतोष यह निर्धारित करते हुए कि विभाग उद्योग है प्रदान किया-अपील में यह निर्णित हुआ कि विधि विभाग उद्योग नहीं है, यद्यपि कर्मचारी को बहाल किया जा चुका है, यह विभाग पर छोडा जाता है कि वह कर्मचारी की निरंतरता के सम्बन्ध में विचार करें।

निर्णय-नजीर के रूप में उसका मूल्य-प्रयोज्यता-निर्णित किसी निर्णय के तात्विक तथ्यों को विचार में लिये बिना निर्णय पर विश्वास करना अनुमत नहीं है-निर्णय अपने मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में नजीर होता है-किसी निर्णय में निर्णय का कारण बाध्यकारी प्रभाव रखता है ना कि

प्रत्येक अवलोकित तथ्य न्यायालय द्वारा अवलोकन किये गये समस्त तथ्यों को कानून के रूप में नहीं पढा जा सकता-नजीर

उत्तरदाता अपीलार्थी राज्य के विधि विभाग में पियोन के पद पर अस्थाई कर्मचारी संविदा के आधार पर था उसकी सेवायें बर्खास्त कर दी गई उसने औद्योगिक विभाग इस आक्षेप के साथ उत्पन्न किया कि उसकी बर्खास्तगी औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा-25 जी के विरूद्ध है। उत्तरदाता के इस कथन का इस आधार पर विरोध किया गया कि राज्य सरकार का विधि विभाग उद्योग नहीं है। श्रम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों, होटल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, को अपने विभिन्न निर्णयों में उद्योग माना है इस कारण विधि विभाग भी उद्योग की श्रेणी में आता है। श्रम न्यायालय की इस मत को उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश एवं खण्ड पीठ द्वारा पुष्ट किया गया। इस कारण वर्तमान अपील उद्भूत हुई।

अपील आंशिक रूप से स्वीकार हुई। न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया

1. राज्य सरकार का विधि विभाग उद्योग नहीं माना जा सकता। उद्योग के सम्बन्ध में स्वीकृत सिद्धांत सरकार के विधि विभाग पर लागू नहीं हो सकते। श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा यह इंगित नहीं किया कि विधि विभाग किस प्रकार से उद्योग है। यद्यपि यह जाहिर आया है

कि उत्तरदाता उसके मूल पद पर जो कि वह बर्खास्तगी के वक्त धारण करता था पर बहाल कर दिया गया है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, यद्यपि यह अभिनिर्धारित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्पष्ट रूप से काबिले कायमी नहीं है, अपीलार्थी पर यह छोडा जाता है कि वह इस सम्बन्ध में विचार करें कि उत्तरदाता कुछ वर्षों से निरंतर कार्य कर रहा है इस आधार पर क्या उसे उसके पद पर निरंतर रखा जा सकता है। (पैरा 8, 10, 16 एवं 17)

2.1 न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत मामले के तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को विचार में लिये बिना किसी नजीर पर विश्वास करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कोई निर्णय केवल अपने तथ्यों पर ही नजीर होता है, प्रत्येक मामले की अपनी विशेषताऐं होती हैं। परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों के निर्णय में अन्तर ला सकता है। किसी मामले का निर्णय आंख बन्द करके किसी नजीर पर विश्वास करते हुए किया जाना उचित नहीं है। (पैरा 11 एवं 14)

2.2 निर्णय द्वारा वास्तव में क्या निर्णित किया गया है, इस सम्बन्ध में एक प्राधिकार होता है। किसी निर्णय का सौन्दर्य उसमें अंकित निर्णय के आधार होते हैं, ना कि निर्णय में वर्णित समस्त टिप्पणियां एवं ना ही निर्णय में वर्णित टिप्पणियों के आधार पर निकाले गये मत। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी प्रश्न का निर्णय करने में अंकित निर्णय

के कारण एवं विधिक सिद्धान्त मात्र ही नजीर के रूप में बाध्यकारी प्रभाव रखते हैं। न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए कही गई प्रत्येक बात नजीर उत्पन्न नहीं करती। न्यायाधीश के निर्णय का पक्षकारों पर बाध्यकारी प्रभाव वह विधिक सिद्धान्त है, जिसके आधार पर यह मामला निर्णित हुआ एवं निर्णय के कारण निर्णय का विश्लेषण करने हेतु महत्वपूर्ण होते हैं, इसी से निर्णय के आधार उद्भूत होते हैं। कोई मामला नजीर के रूप में केवल उसी हद तक बाध्यकारी प्रभाव रखता है, जिसके सम्बन्ध में वह निर्णय पारित हुआ है। न्यायालय के निर्णय को विधि के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। किसी न्यायाधीश द्वारा अपने निर्णय में प्रयोग किये गये शब्दों को संसद द्वारा पारित अधिनियम के शब्द नहीं माना जा सकता। किन्हीं शब्दों, सूक्तियों एवं कानून के प्रावधानों का निर्वचन करते हुए न्यायाधीश के लिए यह जरूरी हो सकता है कि वह लम्बा विवेचन करे, मगर यह विवेचन केवल व्याख्या के लिए होना चाहिए, ना कि परिभाषित करने के लिए। न्यायाधीश विधि का निर्वचन करते हैं, वह निर्णयों का निर्वचन नहीं करते। वे विधि के शब्दों का निर्वचन करते हैं, मगर उनके शब्दों को विधि के रूप में निर्वचित नहीं किया जाना चाहिए। न्यायालयों का मत इल्लूसिव प्रमेय के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, ना ही उन्हें विधि के प्रावधानों के रूप में देखा जाना चाहिए। यह मत जिस परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किये गये हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में पढ़े जाने चाहिए। (पैरा 11 एवं 12)

उडीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा एवं अन्य एआईआर 1968 एससी 647 एवं भारत संघ आदि बनाम धनवन्ती देवी आदि 1996 (6) एससीसी 44 निर्देशित किये।

क्विन बनाम लीथम 1901 एसी 495 (एचएल), लंदन ग्रेविंग डॉप क. लि. बनाम होरटन 1951 एसी 737, होम ऑफिस बनाम डॉपसेट याट क. 1970(2) एएलएल ई आर 294 एवं हैरिंगटन बनाम ब्रिटिश रेलवे बोर्ड 1972(2) डब्ल्यूएलआर 537 एवं 1971(1) डब्ल्यूएलआर 1062 निर्देशित किये।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार-अपील(सिविल)संख्या-3021 वर्ष 2006

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा खण्डपीठ दीवानी विशेष अपील संख्या-391 वर्ष 2004 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 21.05.2004 के विरूद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से- मनीष कुमार एवं अंसार अहमद चौधरी

उत्तरदाता की ओर से - निकिलेश रामचन्द्रन

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति डा0 अरिजित पसायत द्वारा पारित किया गया।

1. इस अपील में राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिये गये

दृष्टिकोण की बरकरार रखा गया है। उच्च न्यायालय के समक्ष श्रम न्यायालय, बीकानेर द्वारा पारित पंचाट को चुनौती दी गई थी।

2. प्रकरण के तथ्य लगभग निर्विवाद है, जो निम्न प्रकार है:-

उत्तरदाता चपरासी के पद पर लोक अभियोजक के साथ संबद्ध था। उसे अनुबंध के आधार पर एक अस्थाई कर्मचारी के रूप में प्रतिमाह 1,000/- रूपये की राशि मिल रही थी। वह संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक, लिटीगेशन, विधि विभाग जयपुर के अधीन कार्यरत था। उसकी सेवायें सूचना पत्र दिनांक 05.12.1998 द्वारा दिनांक 07.12.1998 से समाप्त कर दी गई एवं उसके अनुसार यह औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा-25 जी का उल्लंघन था। इस कारण विवाद उत्पन्न हुआ। अधिनियम की धारा 10 के तहत जारी अधिसूचना संख्या एफ 1(1)(1145) एल एफ/2000 दिनांक 31 जुलाई 2000 द्वारा श्रम न्यायालय को एक रेफरेंस दिया गया था। रेफरेंस निम्न विवाद बाबत् था।

''क्या आवेदक श्री गणेशी लाल पुत्र श्री नौरतमल नाई को अप्रार्थीगण (1) अतिरिक्त लोक अभियोजक, राजगढ जिला चुरू (2) संयुक्त विधि परामर्शी एवं निदेशक लिटिगेशन, विधि विभाग राजस्थान द्वारा सेवा से बर्खास्त किया जाना उचित एवं वैध है? यदि नहीं तो आवेदक किस अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है?

3. वर्तमान अपीलार्थी द्वारा याचिका का विरोध इस आधार पर किया गया कि विधि विभाग 'उद्योग' नहीं है।

4. श्रम न्यायालय को संदर्भित उपरोक्त रेफरेंस में श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने यह अभिनिर्धारित किया कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न विभागों, होटल, स्कूल, सार्वजनिक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के संबंध में जो निर्णय किये गये है, उनके आलोक में विधि विभाग एक 'उद्योग' है। इस दृष्टिकोण को एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार करते हुए माना कि भारत के संविधान, 1950 (संक्षेप में संविधान) के अनुच्छेद 226 के तहत हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश नहीं है।

5. खण्ड पीठ ने अधिनियम की धारा 2(एस) का उल्लेख करने के बाद माना कि श्रम न्यायालय का दृष्टिकोण सही था।

6. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क प्रस्तुत किया कि किसी भी तरह से कानून विभाग को एक उद्योग नहीं माना जा सकता है। दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय का मत उचित है।

7. अधिनियम की धारा 2(एस) ''कर्मचारी'' को इस प्रकार परिभाषित करती हैः-

''कोई भी व्यक्ति (प्रशिक्षु सहित) किसी भी उद्योग में किसी भी मैनुअल, अकुशल, कुशल, तकनीकी, परिचालन, लिपिकीय या पर्यवेक्षी कार्य

हेतु पारिश्रमिक के लिए नियोजित करता है, चाहे रोजगार की शर्तें व्यक्त या विहित हों, और किसी भी उद्देश्य के लिए किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस अधिनियम के तहत कार्यवही में ऐसा कोई भी व्यक्ति शामिल है, जिसे उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप बर्खास्त, सेवामुक्त या छंटनी कर दिया गया हो, या जिसकी बर्खास्तगी या छंटनी के कारण वह विवाद उत्पन्न हुआ हो।''

8. अधिनियम की धारा 2 (एस) को लागू करने के लिए श्रमिक को किसी उद्योग में नियोजित होना चाहिए। कानून विभाग को किसी भी कल्पना से एक उद्योग नहीं माना जा सकता।

9. अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि क्या किसी सरकारी विभाग को उद्योग माना जा सकता है, यह इस न्यायालय की एक वृहद् पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

10. श्रम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय ने यह भी नहीं बताया कि विधि विभाग किस प्रकार एक उद्योग है। केवल यह कहते हुए कि कुछ मामलों में सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग को ''उद्योग'' अभिव्यक्ति के अंतर्गत शामिल माना गया है।

11. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को देखे बिना निर्णय पर भरोसा करना स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है। कोई भी निर्णय अपने तथ्यों के आधार पर एक नजीर होता है। प्रत्येक मामला अपनी विशेषताऐं प्रस्तुत करता है।

किसी न्यायाधीश द्वारा फैसला सुनाते समय कही गई हर बात एक नजीर नहीं बन जाती है। किसी न्यायाधीश के फैसले में किसी पक्ष को बाध्य करने वाली एक मात्र चीज वह विधिक सिद्धांत है, जिस पर मामले का फैसला किया जाता है और इस कारण से किसी फैसले का विश्लेषण करना और उससे निर्णय के आधारों को अलग करना महत्वपूर्ण है। नजीरों के सुस्थापित सिद्धांत के अनुसार, प्रत्येक निर्णय में तीन बुनियादी अभिधारणाऐं होती हैं (i) भौतिक तथ्यों के निष्कर्ष, प्रत्यक्ष और अनुमानात्मक। तथ्यों का अनुमानात्मक निष्कर्ष वह निष्कर्ष है जो न्यायाधीश प्रत्यक्ष रूप से निकालता है, या बोधगम्य तथ्यय (ii) तथ्यों द्वारा प्रकट की गई कानूनी समस्याओं पर लागू कानून के सिद्धांतों का विवरणय और (iii) उपरोक्त के संयुक्त प्रभाव के आधार पर निर्णय। एक निर्णय इस बात का प्राधिकार है कि वह वास्तव में क्या निर्धारित करता है। किसी निर्णय में जो सार है, वह उसका निर्णयाधार है, ना कि उसमें पाया गया प्रत्येक अवलोकन और ना ही निर्णय में की गई विभिन्न टिप्पणियों से तार्किक रूप से निकाला गया कयास। निर्णय या सिद्धांत का प्रतिपादन, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा किसी प्रश्न का निर्णय किया गया है, वह निर्णयाधार एवं विधिक सिद्धान्त एक नजीर के रूप में बाध्यकारी हैं। (उडीसा राज्य बनाम सुधांशु शेखर मिश्रा एवं अन्य एआईआर 1968 एससी 647 एवं भारत संघ आदि बनाम धनवन्ती देवी आदि 1996 (6) एससीसी 44) एक मामला एक नजीर है और जो स्पष्ट रूप से निर्णय

लेता है उसके लिए बाध्यकारी है, इससे अधिक नहीं। न्यायाधीशों द्वारा अपने निर्णयों में प्रयुक्त शब्दों को ऐसे नहीं पढा जाना चाहिए जैसे कि वह संसद के अधिनियमों के शब्द हो। क्विन बनाम लीथेम (1901) एसी 495 (एचएल) में, अर्ल ऑफ हैल्सबरी एलसी का मत है कि प्रत्येक निर्णय उस मामले के साबित तथ्यों एवं परिकल्पित रूप से साबित तथ्यों पर लागू होना माना जाना चाहिए, जब तक कि उस निर्णय की कोई अभिव्यक्ति सामान्य रूप से इस आशय से नहीं की गई हो कि वह विशिष्ट तथ्यों के आधार पर विधि का बल रखती हो एवं निर्णय किसी विशिष्ट मामले को ही वास्तव में निर्णित करते हैं।

12. न्यायालयों को इस बात पर चर्चा किये बिना निर्णयों पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है उसकी तथ्यात्मक स्थिति किस प्रकार से फिट बैठती है। न्यायालयों की टिप्पणियों को न तो यूक्लिड की प्रमेयों के रूप में पढ़ा जाना चाहिए और ना ही कानून के प्रावधानों के रूप में और वह भी उनके संदर्भ से बाहर निकालकर। इन टिप्पणियों को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए जिसमें वे कही गई प्रतीत होती हैं। न्यायालयों के निर्णयों को कानून के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। किसी कानून के शब्दों, वाक्यांशों और प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए, न्यायाधीशों के लिए लंबी चर्चा करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन चर्चा का उद्देश्य व्याख्या करना है ना कि परिभाषित करना। न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते है, वे निर्णयों की व्याख्या

नहीं करते। वे विधियों के शब्दों का अर्थ निकालते है, उनके शब्दों की व्याख्या कानून के रूप में नहीं की जानी चाहिए। लंदन ग्रेविंग डॉक कंपनी लिमिटेड बनाम हॉरटन (1951) ए.सी. 737 पृष्ठ 761 पर लार्ड मेक डरमॉट द्वारा अभिनिर्धारित किया है किः-

''निश्चित रूप से मामले को केवल न्यायाधीश वेल्स की Ipsissima Vertra मानते हुए नहीं सुलझाया जा सकता जैसा कि वे संसद के अधिनियम का भाग हो एवं निर्वचन के नियमों की सही पालना कर रहे हों। यह विद्वान न्यायाधीश के द्वारा प्रयुक्त भाषा के बल से न्यून नहीं होगी''

13. ओम आफिस बनाम डोरसेट यॉट कंपनी (1970 (2)ALL E R 294) में लार्ड रीड ने कहा, ''लार्ड एटकिन के भाषण को....ऐसा नहीं माना जायेगा, जैसे कि वह एक कानूनी परिभाषा थी। नई परिस्थितियों में इसके लिए योग्यता चाहिए।'' न्यायाधीश मेगरी ने (1971) डब्ल्यूएलआर 1062 में मत व्यक्त किया कि, ''निश्चित रूप से किसी को, रसेल एल जज के एक आरक्षित निर्णय को भी ऐसे नहीं समझना चाहिए जैसे कि यह संसद का एक अधिनियम हो।'' एवं हेरिंगटन बनाम ब्रिटिस रेलवे बोर्ड (1972(2) डब्ल्यूएलआर 537 में लार्ड मॉरिस ने मत व्यक्त किया किः-

''किसी भाषण या निर्णय के शब्दों को ऐसे मानने में हमेशा जोखिम होता है जैसे कि वे किसी विधायी अधिनियम के शब्द हों, और यह

याद रखना चाहिए कि न्यायिक कथन किसी विशेष मामले के तथ्यों की सेटिंग में किये गये हैं।''

14. परिस्थितिजन्य लचीलापन, एक अतिरिक्त या भिन्न तथ्य दो मामलों के निर्णय में अन्तर ला सकता है। किसी मामले का निर्णय आंख बन्द करके किसी नजीर पर विश्वास करते हुए किया जाना उचित नहीं है।

15. नजीरों को लागू करने के संबंध में लॉर्ड डेनिंग के निम्नलिखित शब्द लोकस क्लासिकस हैंः-

''प्रत्येक मामला अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर करता है और एक मामले की दूसरे मामले के तथ्यों के साथ निकटस्थ समानता उनके एक समान निर्णय हेतु पर्याप्त नहीं है, क्योंकि एक भी महत्वपूर्ण विवरण पूरे पहलू को बदल सकता है, ऐसे मामलों को एक मामले के रंग से दूसरे मामले के रंग को मिलाकर एक समान निर्णय करने के अतिरिक्त प्रलोभन से बचा जाना चाहिए, (जैसा कि कॉर्डोजो ने कहा है) इसलिए, यह तय करने के लिए कि कोई केस लाईन के किस तरफ पड़ता है, दूसरे केस से व्यापक समानता बिल्कुल भी निर्णायक नहीं है।..... नजीरों की पालना केवल वहीं तक की जानी चाहिए जहां तक यह न्याय के पथ को चिन्हित करती हो लेकिन आपको मृत लकडी को काटना होगा और किनारे की शाखाओं को छांटना होगा अन्यथा आप खुद को झाडियों और शाखाओं

में खोया हुआ पाएंगे। मेरा कथन न्याय के मार्ग को उन बाधाओं से मुक्त रखने के लिए है जो इसमें बाधा डाल सकती है।''

16. जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है कि उद्योग की स्वीकृत अवधारणा को सरकार के विधि विभाग पर लागू नहीं किया जा सकता है।

17. इस प्रकार श्रम न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया दृष्टिकोण बचाव योग्य नहीं है। हालांकि, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी को उस पद पर बहाल कर दिया गया है, जिस पर वह बर्खास्तगी के समय था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए, भले ही हमने माना है कि पारित आदेश स्पष्ट रूप से काबिले कायमी नहीं है। हम यह अपीलकर्ता पर छोड़ते हैं कि वह इस बात पर विचार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उसने कुछ वर्षों तक काम किया है, करे कि क्या प्रतिवादी को उसके पद पर निरन्तर रखा जा सकता है।

18. उपरोक्तानुसार अपील पक्षकारान के व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं करते हुए स्वीकार की जाती है।

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रविन्द्र कुमार (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।